

Ref. No: Z-IV/R-39/D-2/174 & 207

Date : 22 October, 2019

National Stock Exchange of India Ltd. Listing Deptt., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (C), Mumbai - 400 051 NSE Scrip: MINDAIND	BSE Ltd. Regd. Office: Floor - 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. BSE Scrip: 532539
---	--

Dear Sirs,

Sub: - Submission of newspapers Clippings

Ref: Information under 230 to 232 of the Companies Act, 2013 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 regarding Notice convening the meeting of Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Minda Industries Limited pursuant to the order dated September 24, 2019 of the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi

Dear Sir(s),

This is in continuation of our earlier communication dated 19 October, 2019, wherein we had sent the copy of the Notice of NCLT Convened Meeting of the Shareholders and Unsecured Creditors of the Company, both the meetings scheduled to be held on 19 November, 2019 at Lakshmipat Singhania Auditorium, PHD House, Opposite Asian Games Village, New Delhi-1100016.

Enclosed please find the newspapers cuttings, wherein the Notice of the Company was published in "Business Standard" (English) and Jansatta (Hindi) newspapers on 19 October, 2019 and 20 October, 2019 regarding these above meetings.

This is for your information and records please.

Thanking you
For Minda Industries Limited




Tarun Kumar Srivastava
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above. 

E-Auction Sale Notice

Enforcement of Security Interest Act,

the Secured Creditor (State Bank of India),
is what is, and "Whatever there is" Basis on
w and the earnest money to be deposited is

Date / Time of on - site Inspection of Property with name of Authorized Officer	Date of E-Auction / Time for 60 minutes each
23-10-2019 11.30 AM to 3.00 PM Authorised Officer : Smt. Shalini Sharma Mob.: 9560045108	06-11-2019 From 12.00 Noon to 01.00 PM with unlimited extensions of 5 Minutes each.
23-10-2019 11.30 AM to 3.00 PM Authorised Officer : Smt. Shalini Sharma Mob.: 9560045108	06-11-2019 From 12.00 Noon to 01.00 PM with unlimited extensions of 5 Minutes each.

date : 26.04.2017
Processors Pvt. Ltd.
30-03-2017 alongwith further
cost, charges etc.

23-10-2019 11.30 AM to 3.00 PM Authorised Officer : Smt. Shalini Sharma Mob.: 9560045108	06-11-2019 From 12.00 Noon to 01.00 PM with unlimited extensions of 5 Minutes each.
23-10-2019 11.30 AM to 3.00 PM Authorised Officer : Smt. Shalini Sharma Mob.: 9560045108	06-11-2019 From 12.00 Noon to 01.00 PM with unlimited extensions of 5 Minutes each.

Letter of participation, On or before 04.11.2019 online through RTGS/NEFT.

at No. 65156762491,
017891 or by way of
Scheduled Bank.

is approved service provider M/s C1India Pvt.
al Terms and Conditions of online auction sale

nt Inquiries re-garding the encumbrances, title
deemed to constitute any commitment or any
tor shall not be responsible in any way for apply.

Money Deposit shall not bear any interest. The
ay of sale. Default in deposit of amount by the
property amount.

ed Officer, State Bank of India

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT NEW DELHI

Company Application No. CA (CAA) No. 130 (ND) of 2019

IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION OF HARITA LIMITED, HARITA VENU PRIVATE LIMITED, HARITA CHEEMA PRIVATE LIMITED, HARITA FINANCIAL SERVICES LIMITED, HARITA SEATINGS SERVICES LIMITED AND MINDA INDUSTRIES LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

Minda Industries Limited

(A company incorporated under the Companies Act, 1956)

CIN: L74899DL1992PLC050333

Registered office at B-64/1, Wazirpur Industrial Area, New Delhi - 110052.

-- Applicant Company/ Transferee Company

Notice and Advertisement of notice

Notice is hereby given that by an order dated 24 September 2019, the New Delhi Bench of the National Company Law Tribunal ("NCLT") has directed the separate meetings to be held of the equity shareholders and the unsecured creditors of the Applicant Company pursuant to the proposed composite Scheme of amalgamation under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions under the Companies Act, 2013 ("CA 2013"), amongst Minda Industries Limited ("Applicant Company/ Transferee Company") and Harita Limited, Harita Venu Private Limited, Harita Cheema Private Limited, Harita Financial Services Limited and Harita Seatings Services Limited ("Transferor Companies") and their respective shareholders ("Scheme").

In pursuance of the said order, and as directed therein, notice is hereby given that a meeting of the equity shareholders and unsecured creditors of the Applicant Company will be held at Lakshmi Prat Singhania Auditorium, PHD House, Opposite Asian Games Villages, New Delhi-110016 on Tuesday, 19th November, 2019 at respective time as mentioned below and the said equity shareholders and unsecured creditors are requested to attend.

Sl. No.	Meeting	Time
1.	Equity Shareholders	11.00 am
2.	Unsecured Creditors	01.00 pm

Copies of the said Scheme, and of the statement under Section 230 of CA, 2013 can also be obtained free of charge at the registered office of the Applicant Company at B-64/1, Wazirpur Industrial Area, New Delhi, Delhi, 110 052.

Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Applicant Company, not later than 48 hours before the meeting.

Voting Right of Equity Share shall be reckoned as on 4th October, 2019 and of Unsecured Creditors shall be reckoned as on 15th September, 2019.

Forms of proxy are available at the registered office of the Applicant Company at B-64/1, Wazirpur Industrial Area, New Delhi, Delhi, 110 052.

Equity Shareholders have been given option to vote through (a) Postal Ballot (b) e-voting (c) voting through polling paper at the venue of the meeting. The equity shareholders can choose any one of the aforementioned option for vote.

Unsecured Creditors shall be entitled to vote through polling paper at the venue of the meeting only.

The NCLT has appointed Mr. Rajiv Shankar Divvedi, Advocate on Record, Supreme Court of India, or in his absence by Mr. Somansh, as chairperson of the said meeting of the Equity shareholders and Unsecured Creditors of the Applicant Company. The abovementioned Scheme, if approved at the meeting, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

It is informed that the Company:

- On or before 19 October, 2019 will complete the dispatch of the Notice of the NCLT Convened Meeting along with Postal Ballot Form and a Self-addressed Business Reply Envelope to the Shareholders, who have not registered their e-mail ids with the depositories or with the Company. The dispatch of the Notice of the NCLT Convened Meeting of the Unsecured Creditors of the Company will also be completed on or before 19 October 2019.
- On 17 October, 2019, sent an e-mail to the shareholders of the Company along with the links for downloading the Notice of the NCLT Convened Meeting, Postal Ballot Form, through National Securities Depository Ltd. (NSDL) along with the details of login id and password, to the shareholders, who have registered their e-mail ids with Depository or with the Company.
- On 17 October, 2019, sent an e-mail to the Unsecured Creditors of the Company along with the links for downloading the Notice of the NCLT Convened Meeting of the Unsecured Creditors of the Company, through the portal of Link Intime, Registrar & Share Transfer Agents of the Company.
- The Notice has been sent to all shareholders, whose name appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on 4th October, 2019, as received from the NSDL, CDSL and Registrar & Transfer Agent.
- Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has offered e-voting facility, through NSDL, as an alternate, to enable the equity shareholders to cast their votes electronically in addition of dispatching Postal Ballot Form. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the "instruction for e-voting Form" attached with the Notice. Shareholders can cast their vote online from Sunday, 20 October, 2019 (8.00 a.m.) to Monday, 18 November, 2019 upto 5.00 p.m. The shareholders can opt for any one mode of voting. In case, shareholders casts vote by sending physical form as well as vote through e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by physical form shall be treated as invalid.
- Notice and Form of Postal Ballot is also available on website of the company www.unominda.com. Shareholders who do not receive the postal ballot or who have received Postal Ballot Notice by e-mail and wish to vote through physical Postal Ballot Form, may download it from the website of the company or from the link <https://www.evoting.nsdl.com>.
- The equity shareholders of the Company attending the meeting and who have not cast their vote either through postal ballot or e-voting shall be entitled to exercise their vote at the venue of the meeting. Equity shareholders who have already cast their votes through postal ballot or e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later 5.00 p.m. on Monday, 18 November, 2019 at the address - Mr. Prasant Kumar Sarkar, Scrutinizer, Minda Industries Limited, B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052. The voting period for e-voting module also ends on Monday, 18 November, 2019 after 5.00 p.m. Any responses received after this date will be treated as if the same has not been received.
- The voting rights of equity shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, 4th October, 2019.

The scrutinizer will submit his report to the Chairman of the meeting after completion of the scrutiny of the votes cast by the equity shareholders and unsecured creditors of the Company. The scrutinizer's decision on the validity of the vote (including e-votes) shall be final. The results of voting of meeting of the equity shareholders and unsecured creditors will be announced on or before Thursday, 21st November, 2019 at the registered office of the Company. The results, together with the Scrutinizer's Reports, will be displayed on the website of the Company (www.unominda.com) and on the website of NSDL i.e. (www.evoting.nsdl.com), besides being communicated to BSE and NSE.

Dated 18 October, 2019.

Rajiv Shankar Divvedi, Advocate

Chairman appointed for the Meeting

Business Standard 19 Oct. 2019



पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में काली पूजा और दिवाली के लिए शनिवार को पटाखे तैयार करता व्यक्ति।

हर नागरिक को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते : सावंत

पणजी, 19 अक्टूबर (भाषा)।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को कहा कि अगर भगवान भी राज्य में शासन के लिए आ जाएं तो भी वह हरेक नागरिक को सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं दे सकेंगे। सावंत ने राज्य द्वारा आयोजित रोजगार मेले के उद्घाटन में कहा कि सरकार पांच से छह हजार लोगों को सरकारी विभागों में रख सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कल भगवान आ जाएं और राज्य में शासन करें तो भी वह लोगों को सी फीसद सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास कई लोग सरकारी नौकरी के लिए आते हैं।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद

सावंत ने कहा कि अगर कल भगवान आ जाएं और राज्य में शासन करें तो भी वह लोगों को सी फीसद सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। सावंत राज्य द्वारा आयोजित रोजगार मेले के उद्घाटन मौके पर बोल रहे थे

हालांकि, प्रत्येक नागरिक को सरकारी क्षेत्र में समायोजित करना असंभव है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सरकारी क्षेत्र में 55 से 60 हजार कर्मचारी स्थायी तौर पर कार्यरत हैं, जबकि 10 हजार संविदा या

अंशकालिक कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गोवा कर्मचारी चयन आयोग विधेयक पहले ही पारित कर दिया है, जिसके तहत सरकारी विभागों के लिए लोगों की भर्ती करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा।

सावंत ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि समय से कार्यालय आए नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि उन सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाएं जो नियमित तौर पर ड्यूटी पर देर से आते हैं और अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं हैं।

तेलंगाना में नहर में गिरी कार, छह की मौत

हैदराबाद, 19 अक्टूबर (भाषा)।

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक कार के नहर में पलट जाने की घटना में उसमें सवार छह लोगों की दूबने से मौत हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हादसा शुक्रवार रात को हुई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दल ने शव बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि कार मुनागाला की पुलिस की रेलिंग से टकरा गई और फिसलती हुई नहर में जा गिरी। पुलिस अधीक्षक भारकरन ने बताया कि मरने वाले सभी लोग एक निजी अस्पताल के कर्मचारी थे और वह एक विवाह समारोह से अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पीछे आ रहे एक अन्य वाहन में सवार कुछ अन्य लोगों ने यह घटना देखी और पुलिस को इसकी जानकारी दी। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

चित्रक सूचना	
मैसर्स गैलियम इण्डस्ट्रीज लि. (परिमार्जन में)	
पंजीकृत कार्यालय : 348S, गली नं. 81, ब्लॉक ई-2, मोरल बैकड एक्स, नवरपुर, नई दिल्ली-110044, भारत	
परिमार्पाक : विजेन्द्र शर्मा	
परिमार्पाक का पता : वीआरएसए इन्स्टीट्यूट प्रोफेशनल्स एलएलपी, भवन सं. 11, सीरी मंजिल, हरगोविन्द एन्कलेव, विजयस मार्ग, दिल्ली-110092	
ई-मेल : vijender@vsa.net.in सम्पर्क नं. : 011-41578410	
ई-नीलामी	
ऋण शोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 के तहत आगंतिक का चित्रक	
कम्पनी के परिमार्पाक ने इच्छुक संविदाकारों को इस समाचार पत्र में 27.09.2019 को प्रकाशित चित्रक सूचना के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार को आगंतिक का क्रय करने के लिए आमंत्रित किया था। मैं, परिमार्पाक एनडाटा सूचना देता हूँ कि परिमार्पाक के पास दर्तावेतों के जमा करने की अन्तिम तिथि 03.10.2019 निर्धारित की गयी थी जिसे बाद में बढ़ाकर 19.10.2019 किया गया और अब इसे संविदाकारों की अंतिमक भागीदारी के लिए बढ़ाकर 30.10.2019 कर दिया गया है। लन्दनयुक्त ई-नीलामी की तिथि भी बढ़ाकर 01.11.2019 कर दी गयी है।	
ई-प्रक्रिया दर्तावेतों में निर्धारित अन्य नियम एवं शर्तें ब्यवहार में हैं। आगंतिक, संशोधित सम्य-सम्य, ऑनलाइन ई-नीलामी संहिता प्रक्रिया, घोषणा तथा शपथपत्र, ऑनलाइन नीलामी चित्रक के व्यापक नियम एवं शर्तों सहित पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क : श्री तिलक मराठोटी पुमिल, +91-6351896834/079-61200581 tilak@auctiontiger.net/ pushp@auctiontiger.net/ (संलिंक https://ncltauction.auctiontiger.net 'र' जाने के बाद संविदाकारों को दो दिक्कतों () कम्पनी का नाम (गैलियम इण्डस्ट्रीज लि.), अथवा () राश तथा सम्पत्ति का प्रकार में से किसी एक का उपयोग करके उल्लिखित कम्पनी को ईकना होगा।	
विजेन्द्र शर्मा	
परिमार्पाक-मैसर्स गैलियम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड आईबीबीआई पंजीकरण नं. : IBBBI/PA-003/IP-N00003/2016/10022	
पता : वीआरएसए इन्स्टीट्यूट प्रोफेशनल्स एलएलपी, 11 (सीरी मंजिल) हरगोविन्द एन्कलेव, विजयस मार्ग, दिल्ली-110092	
ई-मेल : vijender@vsa.net.in सम्पर्क नं. : 011-41578410	

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण पीठ, नई दिल्ली में कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएफ़) नं. 2019 का 130 (एनडी)	
हरिता लिमिटेड, हरिता बेनु प्राइवेट लिमिटेड, हरिता चीमा प्राइवेट लिमिटेड, हरिता फाइनेशियल सर्विसेस लिमिटेड, हरिता सीटिंग सर्विसेस लिमिटेड तथा मिण्डा इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेरधारकों के समामेलन की योजना के मामले में	
मिण्डा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्गमित कम्पनी) CIN: L74899DL1992PLC050333	
पंजीकृत कार्यालय- बी-64/1, चञ्जीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110052	
..... आवेदक कम्पनी/अंतर्गती कम्पनी	
लक्ष्मीपत सिंघानिया ऑडिटींगएम, पीएचडी हाउस, एशियन मैप्स विलेज के सामने, नई दिल्ली-110016 में 19 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाने वाली कम्पनी के इक्विटी शेरधारकों तथा अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की एनर्सीक्लटी द्वारा आमंत्रित सभा की सूचना के लिये 19 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित जनसत्ता में पूर्व के विज्ञापन के अधिक्तर में सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने 19 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त सभाओं के इक्विटी शेरधारकों तथा अप्रतिभूत क्रेडिटर्स को सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है।	
तिथि 19 अक्टूबर, 2019	
राजीव शंकर दिवेदी, अधिवक्ता	
सभा के लिये नियुक्त अध्यक्ष	

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड	
पंजीकृत कार्यालय : टी-था त्र, एच.ए. पोस्टनलगा विजयनगर, सेक्टर/प्लॉट नं.मा, लोअर पॉरेड, बंगलूरु - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552	
मांग सूचना	
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकर्ता एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत	
जैस कि अधिनियम के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (टीसीएफएफएन) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने पूरा में सा सूचना अधि की धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे वर्णित तिथि की मांग सूचनाएं जारी कर ऋणधारक (की), सह-ऋणधारक/की, गारन्टर (की) (स्वामी व्यक्तित्वन अथवा साथ-साथ "देनदारों" के रूप में वर्णित), सांख्यिक उन्नाधिकारी/सांख्यिक प्रतिनिधियों (नीचे वर्णित) को नीचे दिये गए विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचनाओं में वर्णित तिथि के भुगतान का निर्देश दिया था। सूचनाओं की प्रति चोटीगत करण ए.डी. से, या सूचों में सूचों के साथ-साथ (सी), सांख्यिक उन्नाधिकारी/सांख्यिक प्रतिनिधियों, यदि वे ऐसा चाहें, किसी भी काल हितियों को सामान्य कार्यालय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के विस्तारित में, एतद्वारा एक एक फिर से उन्न देनदारों/सांख्यिक उन्नाधिकारियों/सांख्यिक प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि कि संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्न देनदारों द्वारा निर्मादित, यदि कोई हो, ऋण अनुबंध तथा अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित रूप में दस्तावेज (य) में वर्णित संबंधित तिथि से भुगतान एवं/अथवा उन्नागी की तिथि तक नीचे वर्णित आने के ब्याज के साथ उन्ने को के साथ सहा तीन दशार्द गार्ड राशि का टीसीएफएफएल को भुगतान करें। ऋण के निम्न पुर्नगुणता के लिए प्रतिभूति के रूप में ऋणकः उन्न देनदार (री) द्वारा निम्न प्रतिभूत परिसम्पत्तियां टीसीएफएफएल के पास गिरवी रखी गई हैं।	
क्र.सं.सूचना	
क्र.सं.सूचना	
क्र.सं.सूचना	
अवल सम्पत्तियों, प्रतिभूत सम्पत्तियों, निराला सम्पत्तियों का विवरण , किसी प्रकार में लिखित सामान्य घोषणाओं के साथ करण, ईतिवक्तः 13/10/201 में निम्न सामान्य आवासीय प्लॉट नं. 43, यका शिप, नवम्बरी, कल्याण, महं नं. 2 पर 3 के बीच करण करण, हस्तलि एवं निम्न करण, यका 100 वर्ग यार्दत का सभी भाग तथा हितसा। चौकी दर्त प्रकार है: उन्नः पूरा साविक का मकर, पूर्ण पोखरा का मकर पवित्र चर्च निंद का मकर दक्षिणः सड़क	
* आगे के ध्यान, संबंधित मांग सूचना, उपरोक्त तिथि में विशेष रूप से वर्णित दर पर अतिरिक्त ध्यान, अनुभाषिक चार्जेज, लगानों, प्रभारों भुगतान एवं/अथवा उन्नागी की तिथि तक यन्न की गई, के साथ। यदि उन्न देनदार टीसीएफएफएल को उपरोक्त का भुगतान करने में विफल होते हैं तो लागू होने परामाओं के लिये उन्न देनदार (रीं)/सांख्यिक उन्नाधिकारियों/सांख्यिक प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण जोधियन पर टीसीएफएफएल उन्न अधिनियम की धारा 13 (4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उन्न प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अवल सम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई करण।	
उन्न देनदार (रीं)/सांख्यिक उन्नाधिकारियों/सांख्यिक प्रतिनिधियों को उन्न अधिनियम के अंतर्गत तिथि, पट्टा अथवा अन्य रूप से टीसीएफएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अवल सम्पत्तियों को अंतर्गत करने से निषिद्ध किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा उन्न अंतर्गत निर्मित नियमों के उल्लंघन या उल्लंघन का प्रयास करते हैं तो वे अधिनियम के अपराधनों के अंतर्गत कैद एवं/अथवा कैद के भागी बनने।	
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए हस्ता./-	
तिथि: 20.10.2019	
स्थान: हरियाणा	
प्राधिकृत अधिकारी	

बिहार की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज

हाजीपुर, 19 अक्टूबर (भाषा)।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विवादित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ यहां की एक अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है। इस कथित टिप्पणी में केजरीवाल ने कहा था कि बिहार के लोग राष्ट्रीय राजधानी में मुफ्त में इलाज करवाने आते हैं।

केजरीवाल ने अपनी विवादित टिप्पणी में कहा था कि बिहार के लोग राष्ट्रीय राजधानी में मुफ्त में इलाज करवाने आते हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता नीतीश कुमार द्वारा केजरीवाल के खिलाफ भादवि की धारा 153ए, 153बी, 504 और 505 के तहत दायर उक्त परिवाद पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेमचंद वर्मा ने आगे की सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) को स्थानांतरित कर दिया है। कुमार के वकील सुरेश कुमार भारती ने कहा कि याचिका में कुमार ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के बयान से उन्हें पीड़ा हुई है। भारती ने कहा कि एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित खबर के मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट खरीदकर दिल्ली आते हैं और पांच लाख रुपये का इलाज मुफ्त में कराकर लौट जाते हैं।कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 'गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और देश तथा राज्य की शांति, एकता, संप्रभुता और सौहार्द को भंग करने की कोशिश की है।' इस महीने की शुरुआत में वकील सुधीर कुमार ओझा ने भी मुजफ्फरपुर की अदालत में इस मामले पर एक याचिका दायर की थी, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

विवरण	30.09.2019 को समाप्त तिमाही	30.09.2018 को समाप्त तिमाही	30.09.2019 को समाप्त छमाही	30.09.2019 को समाप्त वर्ष
प्रचालनों से कुल आय (निम्नलि) एवं अन्य आय	3.00	1.80	7.25	8.11
उपयुक्त निम्नलि लाभ (कर पूर्व/कर पश्चात तथा आधारभूत मद एवं अन्य व्यापक आय)	1.14	(0.11)	0.79	0.39
इक्विटी शेयर पूँजी	1211.86	1211.86	1211.86	1211.86
उपयुक्त विवरण (पुनर्मूल्यंकन आरक्षी छोड़कर)	-	-	-	(1209.49)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक)	0.09	-	0.07	-
वैसिक एवं डाइवर्टेड	-	-	-	-
नोट :				
1. कम्पनी के तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधित) नियम, 2016 द्वारा ब्यवस्थायित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किये गये हैं।				
2. उपयुक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षित की गयी और 19 अक्टूबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अभिलेखित की गयी।				
3. उपयुक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अधोए) नियम, 2015 के विनियम के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ फासल किये गये तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के व्यापक प्रारूप का संसार है। तिमाही तथा छमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।				
दिनांक : 19.10.2019				
स्थान : दिल्ली				
				ह./- सुधीर चन्दा प्रबन्ध निदेशक

एनर्सीआरडी/डिवायडन/नई दिल्ली फेडरल टावर	
कंपरी भू तल, 2/2, रेक्टर पटेल नगर, नई दिल्ली-110008	
फोन नं. 011-407333980, 407333978	
ईमेल: ndllcr@federalbank.co.in	
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित सारफेरी अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में वर्णित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना	
1. मै, जैपडोर इंजीनियरिंग प्रा.लि., कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 602, छठा तल, रिशव कॉर्पोरेट टावर, कड़कड़डूमा कम्यूनिटी सेक्टर, दिल्ली-110092 में है।	
2. श्री अमरेश आनंद, पुत्र श्री राज कुमार झा, निवासी: जी-5, टाइप 5, न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैम्प, नई दिल्ली-110009	
3. श्रीमती रिचा ओमर, पत्नी श्री अमरेश आनंद, निवासी: जी-5, टाइप 5, न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैम्प, नई दिल्ली-110009	
4. श्री दीपक कुमार, पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी, करामी, मांगरी, वाराणसी-221202, उत्तर प्रदेश आप में से 2रे एवं 3रे के साथ आप में 1ले ने अन्यों के साथ मिलकर प्राप्त की गई साख सीमाओं के संदर्भ में प्रतिभूति हित के निर्माण के बाद 23.9.2016 को रु. 450 एक की बीजी लिफ्ट प्राप्त की थी। 19.2.2019 को आपके अनुरोध पर बैंक द्वारा उन्न सीमाएं रीशेड्यूल की गई थी। उसके पश्चात आप में 1 ने ध्यान ऋणधारक के रूप में तथा 2रे से 4थ तक ने गारन्टर/सह-देनदार/सह-ऋणधारक के रूप में हमारे बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद हमारे बैंक की नेहरू प्लेस शाखा से सुविधा प्राप्त की है। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधा की प्रतिभूति के लिए आप में 1ले ने अधोलिखित संपत्तियों के संदर्भ में हाइपोथेकेशन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है:-	
हाइपोथेकेटेड चल संपत्तियों का विवरण	
प्रधान ऋणधारक से प्राप्त विल्ल का हाइपोथेकेशन	
बैंक से प्राप्त की गई उपरोक्त साख सुविधाओं की प्रतिभूति के लिये आप में से 3रे श्रीमती रिचा ओमर ने 23.9.2016 को मांगेगन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है जिसे निम्न अवल सम्पत्तियों के संदर्भ में 20.2.2019 को फिर से डिपॉजिट किया गया।	
गिरवी रखी गई अवल सम्पत्ति का विवरण	
आवासीय मकान जिसका कवर्ड एरिया 137 वर्ग मी. (भूतल 82.14 वर्ग मी. तथा प्रथम तल-55.86 वर्ग मी.), ससुन्धरा, गांधियाबाद में स्थित, के साथ आवासीय प्लॉट नं. 1364, सेक्टर-3, माप 123 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हितसा। चौकी: प्लॉट नं. 1359, पश्चिम: 9 मी. चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट नं. 1363 तथा दक्षिण: प्लॉट नं. 1365	
बैंक से प्राप्त की गई उपरोक्त साख सुविधाओं की प्रतिभूति के लिये आप में से 1ले मै, जैपडोर इंजीनियरिंग प्रा.लि. ने 23.9.2016 को मांगेगन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है जिसे निम्न अवल सम्पत्तियों के संदर्भ में 20.2.2019 को फिर से डिपॉजिट किया गया।	
गिरवी रखी गई अवल सम्पत्ति का विवरण	
ग्राम राधोपुर, धलाल रोड, तहसील चम्पू, जिला जयपुर, राजस्थान में सम्पत्ति नं. खसरा नं.105/1 तथा 107/1, माप 1.01 हेक्टेयर का सभी भाग तथा हितसा तथा चौकी: पूर्व: अन्य का भूमि, पश्चिम: अन्य का भूमि, उत्तर: जैपडोरी ग्रीन कॉलोनी, दक्षिण: धलाल रोड।	
उपरोक्त हाइपोथेकेटेड/ गिरवी संपत्तियां यहां के बाद "प्रतिभूत परिसंपत्तियों" के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक ने नेहरू प्लेस शाखा में डब्ल्यूसीडीएल ऋण 13027100003613 के अंतर्गत 30.09.2019 को रु. 3,08,74,553/- (रुपये तीन करोड़ आठ लाख चौहत्तर हजार पांच सौ तिड़ेशन मात्र) की राशि आप पर संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाया है। पुर्नगुणनों में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बै. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपको खाता/ओं की गैर-प्रचलन परिसंपत्ति के रूप में वगीकृत कर दिया गया है। एतद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 01.10.2019 से भुगतान की तिथि तक मासिक रेस्टर्ड के साथ 20.50% की दर पर आगे के ब्याज तथा 2% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज तथा लागतों के साथ उन्न राशि का भुगतान करें, अन्यथा, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइमेंट अथवा बििकी द्वारा उसके अंतर्गत अधिका आपको आगे को सूचना दिए बिना बकाय की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिका सहित उन्नता अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा। सूचित किया जाता है कि बैंक को लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बििकी, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस सिलसिले में वहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्च का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बििकी राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं होती है तो आगे बिना किसी सूचना बैंक शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों) को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है। यह सूचना बकाए की वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है। यह सूचना 04 अक्टूबर, 2019 को जारी की गई थी तथा वह आपको सर्व की गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपको उसे प्राप्त नहीं किया जिस कारण से सरफेरी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है। आज, 18 अक्टूबर, 2019 को।	
द फेडरल बैंक लि. के लिए, नाम एवं पदनाम (प्राधिकृत अधिकारी)	

प्रधानमंत्री बताएं पाकिस्तान के दो टुकड़े किसने किए : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 370 मुद्दे के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री को जनता के सामने यह भी बोलना चाहिए कि 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े किसने किए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री असली मुद्दों को भूल जाते हैं। कभी एनआरसी की बात करते हैं तो कभी 370 की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में अनुच्छेद 370 की बात करते हैं। अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर हमारा आंतरिक मामला रहा है, लेकिन जनता को उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस की

सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर हमारा आंतरिक मामला रहा है, लेकिन जनता को उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। मुझे पता है कि वह यह नहीं बोलेंगे क्योंकि उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं है।



सरकार में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। मुझे पता है कि वह यह नहीं बोलेंगे क्योंकि उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं है।

अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए सिब्बल ने कहा कि आइएमएफ, विश्व बैंक और दूसरी संस्थाएं कह रही हैं कि भारत में मंदी है लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल कहते हैं कि अभिजीत बनर्जी वाम की ओर झुकाव रखते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या आइएमएफ और विश्व बैंक भी वाम की ओर

झुकाव रखते हैं? क्या सुब्रमण्यम स्वामी भी वाम की ओर झुकाव रखते हैं?'

पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक मामले का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बैंक में खाताधारकों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों की मौत भी हो गई। हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री इस मामले में प्राइम मिनिस्टर कमिटेमेंट (पीएमसी) दिखाएं और यह कहें कि सभी का पैसा वापस मिलेगा।

शुद्धि पत्र	
यह दिनांक 19-10-2019 को इस समाचार पत्र में पेज सं. 10 पर प्रकाशित बििकी उद्घोषणा सूचना यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया बनाम वीना सिंघल एवं अन्य के संदर्भ में है, जिसमें सबसे ऊपर कार्यालय रिकवरी अधिकारी, श्रेष्ठ रिक्वी अधिकरण- III दिल्ली को "कार्यालय रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण - III दिल्ली" पढ़ा जाये। शेष सभी पूर्ववत रहेंगे।	

शुद्धि पत्र	
यह दिनांक 19.10.2019 को इस समाचार पत्र में पेज सं. 10 पर प्रकाशित बििकी उद्घोषणा सूचना यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया बनाम श्री राज कुमार अरोड़ा एवं अन्य के संदर्भ में है जिसमें सबसे नीचे "मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 16 सितम्बर, 2019 को दी गयी है" पढ़ा जाये। शेष सभी पूर्ववत रहेंगे।	

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ...मररो की प्रतीक। punjab national bank ...the name you can BANK upon!

13, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੋਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਮਵ, ਦਿੱਲੀ-110034, ਬੀਡੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਮਵ, ਟੈਲੀ: 011-23991337, ਫੈਕਸ: 011-23981987, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: B00115@PNB.CO.IN

ਕੜਾ ਸੂਚਨਾ (ਚੁਣਨ ਸਮੱਥੀ ਦੇ ਲਿਖੇ)

ਭੈਰਾ ਫਿਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੌਰਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਰੀਤਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪੁਰਨੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਰੀਤਿਤ ਪ੍ਰਵਰਨ ਅਭਿਵਿਸ਼ਯ, 2002 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਰੀਤ ਅਭਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਰੀਤਿਤ (ਪ੍ਰਵਰਨ) ਨਿਰਪਾਸ਼ਵਰੀ, 2002 ਦੇ ਸਾਥ ਪੜਿਤ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਰਨ ਨਿਯੰਤਰਾਂ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤੇ ਹੁਏ ਅਭੇਦਰਾਜਪੁਰੀ ਜੋ ਮਾਨਵ ਸੂਚਨਾ ਫਿਕ 6 ਅਪ੍ਰਲ, 2019 ਯਾਤੀ ਕਰੇ ਕਾਥਾਕਾਰ ਅੰਤੀ ਸ਼ੇਖਰਾਜ ਮੰਡਲ, ਖੁਸ਼ ਭੀ ਟੀਨਪੰਥ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲ, ਖਾਲੀ ਅੰਤੀ ਸ਼ੇਖਰਾਜ ਮੰਡਲ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕੀਤੀ ਗਿਏ ਜੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਖੀਨਤ ਸੂਚਨਾ ਸੇ ਯੰਗਿਰਾ ਗਿਰੀ ਰ. 2,03,65,806.04 (ਦੋਪਦੇ ਹੇਠੇ ਕਰੇਗੇ ਟੀਨ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਟ ਹਾਥਰ ਆਤ ਜੀ ਕੇ: ਤਬ ਪੈਸੇ ਖਾਤ ਮਾਰ) - 1.7.2019 ਜੇ ਬਾਥਾ ਵਾਪਸ ਲੀਟਨੇ ਕਾ ਨਿਰੇਤਿ ਧਾਰਾ ਖਾ।

ਕਾਥਾਕਾਰ, ਇਸ ਗਿਰੀ ਕੋ ਧਾਸਰਾ ਲੀਟਨੇ ਸੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ ਕਰੇ, ਆਤ: ਏਕਦਹਾਰਾ ਕਾਥਾਕਾਰ, ਤਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋ ਸੂਚਿਤਿ ਕਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫਿਕ ਆਥ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਕੋ ਅਭੇਦਰਾਜਪੁਰੀ ਜੇ ਰੁਤਨ ਨਿਰਪਾਸ਼ਵਰੀ 2002 ਦੇ ਫਿਕਥ 8 ਦੇ ਸਾਥ ਪੜਿਤ ਅਭਿਵਿਸ਼ਯ ਕੋ ਧਾਰਾ 13(4) ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਊਨੇ ਪੜਿਤ ਨਿਯੰਤਰਾਂ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤੇ ਹੁਏ ਅਭੇਦਰਾਜਪੁਰੀ ਜੇ ਧਾਏ ਨੀਯੇ ਯੰਗਿਰਾ ਸਮੱਥੀ ਕਾ ਕਾਥਾ ਕਰ ਲਿਖਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਕਾਥਾਕਾਰਾਂ ਕੋ ਨਾਲ ਆਖੀਤਿ ਕਾਥਾ ਕੋ ਏਕਦਹਾਰਾ ਸਮੱਥੀ ਕਾਥਾ ਜਾਏ ਕਿ ਫਿਕ ਏ ਧਾਏ ਨੀਯੇ ਯੰਗਿਰਾ ਸਮੱਥੀ ਕਾ ਕਾਥਾਕਾਰ ਨ ਕਰੇ ਤਬ ਇਸ ਸਮੱਥੀਯੋਂ ਕਾ ਫਿਕਸੀ ਭੀ ਟਾਹ ਕਾ ਕਾਥਾਕਾਰ ਰ. 2,03,65,806.04 (ਦੋਪਦੇ ਹੇਠੇ ਕਰੇਗੇ ਟੀਨ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਟ ਹਾਥਰ ਆਤ ਜੀ ਕੇ: ਤਬ ਪੈਸੇ ਖਾਤ ਮਾਰ) ਤਬ ਊਸ ਧਰ ਕਾਥਾਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅਭੇਦਰਾ ਹੋਯਾ।

ਚੁਣਨ ਸਮੱਥੀ ਕਾ ਵਿਸ਼ਲਾ

ਨੇਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਰੀਤਕਰਨ ਧਾਰਾ ਆਖੀਤਿ ਆਸਾਧੀਯੇ ਟੀਨੇ 128.56 ਸੰਧੀ ਮੀ: ਹੈ, 34, ਮਾਰਾ 450 ਸੰਧੀ ਮੀ: ਜੋ ਸਕੀਂ-47, ਸੇਕਟਰ-47, ਨੇਪੇਸ਼ਾ ਲਿਖਤ ਟੀਨਤ ਧੂਧ ਨਗਰ, ਊ.ਪ. ਸੇ ਲਿਖਤ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾ ਕੁਲ ਕਾਰਡ ਏਪੀਏ 128.56 ਸੰਧੀ ਮੀ: ਹੈ, ਕਾ ਏਪੀਏ। ਚੀਫ਼ਟੀ: ਊਤਾ: ਪਲਟਿੰ ਜੇ: ਭੀ-31, ਸੇਕਟਰ-47, ਲਖਿਪਾ: 12 ਮੀ: ਚੀਫ਼ਟੀ ਸਾਡਕ, ਧੂਕੇ: ਪਲਟਿੰ ਜੇ: ਭੀ-33, ਸੇਕਟਰ-47, ਪੋਥਿਪਾ: ਪਲਟਿੰ ਜੇ: ਭੀ-35, ਸੇਕਟਰ 47

ਫਿਕਸੀ: 7.10.2019

ਨਾਮਵ: ਫਾਦੋ ਦਿੱਲੀ

ਸਾਕੇਤ ਨਿਰਮ, ਸੂਚਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਰੀਤਿਤ ਅਭਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ

पंजा